

बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान -841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154-242099 (कार्या0)
06154-242860 (कार्या0)
06154-242098 (आवास)
06154-242348 (फैक्स)

email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक-04.02.19 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार बैठक में कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सीवान स्वयं उपस्थित नहीं थे। उनके द्वारा हर सप्ताह अपने कनीय अभियन्ता को बैठक में भेजा जाता है, जो काफी खेदजनक है। कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सीवान को स्वयं बैठक में भाग लेने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

1.1-विधि शाखा- बताया गया कि वर्तमान में एम0जे0सी0 के निम्न मामले लम्बित है:-

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0- /18 पुरुषोत्तम नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर कारण पृच्छा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
2	एम0जे0सी0 नं0- /18 सुनील कुमार शाही बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	बताया गया कि विपत्र कोषागार में भेजा गया है। तुरंत एस0ओ0एफ0 तैयार कर कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।
3	एम0जे0सी0 नं0- /18 सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।
4	एम0जे0सी0 नं0- /18 निर्मय कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, सीवान	बताया गया कि विभाग को प्रतिवेदन भेज दिया गया है।
5	एम0जे0सी0 नं0- /18 ब्रजकिशोर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सीवान	अविलम्ब कारण पृच्छा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
6	एम0जे0सी0 नं0- /18 श्रीकान्त सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि तथ्य विवरणी तैयार कर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।
7	एम0जे0सी0 नं0- /18 मधुसूदन सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, दरौंदा	अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारियों को निदेशित कर अविलम्ब एस0ओ0एफ0 प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
8	एम0जे0सी0 नं0- /18 रामलाल चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, बड़हरिया	
9	एम0जे0सी0 नं0-873/2017 सेराजुददीन अंसारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, हुसैनगंज	बताया गया कि इस मामले में द्वितीय कारण पृच्छा एक सप्ताह के अंदर दाखिल करनी है। अंचल अधिकारी से अविलम्ब द्वितीय कारण पृच्छा के लिए एस0ओ0एफ0 प्राप्त कर 3 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
9	एम0जे0सी0 नं0- /18 दीपक कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा, सीवान	अविलम्ब कारण पृच्छा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
10	एम0जे0सी0 नं0- /18 भारत प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला नजारत उप समाहर्ता, सीवान	अविलम्ब कारण पृच्छा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।

11	एम0जे0सी0 नं0- /18 प्रेम शंकर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज	अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज से सम्पर्क कर अविलम्ब एस0ओ0एफ0 प्राप्त करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।
12	एम0जे0सी0 नं0- /18 बच्चा मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला राजस्व शाखा, सीवान	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को अविलम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

1.2-बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :-

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0- 11836/18 अरविन्द कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला आपूर्ति पदा0,सीवान	जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अगली बैठक के पूर्व तथ्य विवरणी दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना देने का निदेश दिया गया।
2	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0- /18 बबन चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदा0,सीवान	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभाग को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि भेजे गये पत्र की एक प्रति जिला विधि शाखा को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वे निरंतर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। (अनु0-सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी)

2-लोक शिकायत निवारण:- बताया गया कि अभी कोई समस्या नहीं है।

3-आर0टी0पी0एस0- आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि कोई मामला कालबाधित नहीं हुआ है।

4-विद्युत :-विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, सीवान द्वारा बताया गया कि जैसे मतदान केन्द्रों की सूची उन्हें प्राप्त हो गयी है जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे मतदान केन्द्रों की संख्या 426 है, जिनमें से 201 में विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है। उन्हें दिनांक-06.02.19 तक सभी मतदान केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन देकर अनुपालन प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। (अनु0-विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, सीवान)

5-सहकारिता- बताया गया कि वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।

6-आपूर्ति :- बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

7-खनन :- कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं की गई।

8-बाढ़ नियंत्रण:- कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं की गई।

9-निर्वाचन-नोडल आफिसर, स्वीप कोषांग द्वारा बताया गया कि प्रत्येक कार्यालय में मतदाता जागरुकता फोरम का गठन करने एवं उसकी कार्यवाही का प्रतिवेदन तथा फोटोग्राफ्स भेजने का निदेश दिया गया था, लेकिन बहुत कम पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया है। इस सम्बंध में दिनांक-16.01.19 को बैठक भी की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जिन पदाधिकारियों ने अपने कार्यालय में अबतक मतदाता जागरुकता फोरम का गठन नहीं किया है वे दिनांक-04.02.19 तक उसका गठन कर एवं दिनांक-05.02.19 को प्रथम जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर उसकी कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स उप निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दें। (अनु0-सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी)

जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर शौचालय, पेयजल, रैम्प, विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक-06.02.19 तक इस कार्य को पूर्ण कर सभी सम्बंधित पदाधिकारी अनुपालन प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। (अनु0-सभी सम्बंधित पदाधिकारी)

उप निर्वाचन पदाधिकारी को मतदान केन्द्र के पहुँच पथ एवं पी0डब्ल्यू0डी0 वोटर के सम्बंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से अविलम्ब प्रतिवेदन प्राप्त कर स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया। (अनु0-उप निर्वाचन पदाधिकारी)

10-सामान्य शाखा-

10.1-बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग-बताया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	कलामुद्दीन अंसारी, पिता-राजुदीन अंसारी, ग्राम-इस्लामियां नगर, सिसवन ढाला, जिला- सीवान का परिवार पत्र	889 दि० 21. 04.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	माना कुँवर, पति- स्व० हरि सिंह, ग्राम-सिपाह, थाना-बसंतपुर, जिला- सीवान का परिवार पत्र	1587 दि० 09. 07.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	रामेश्वर दूबे, पिता- स्व० कमला दूबे, ग्राम जगतपुर आनंद टोला, थाना- बसंतपुर, जिला-सीवान का परिवार पत्र	2982 दिनांक 03.10.18	अंचलाधिकारी, लकड़ी नबीगंज	असतोष व्यक्त किया गया और कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
4	हाजरा खातून, पति- मुन्ना अंसारी, ग्राम-थाना आंदर, जिला-सीवान का परिवार पत्र	3145 दि०-26. 10.18	थानाध्यक्ष, आंदर	स्मार देने का निदेश दिया गया।
5	शबनम खातून, पति-मैहदी हसन, सा० खुजवा, थाना-रघुनाथपुर, जिला-सीवान का परिवार पत्र	3595 दिनांक- 13.12.18	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान सदर	भूमि सुधार उप समाहर्ता को अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
6	प्रमोद कुमार सिंह, पे० कृष्णा सिंह, सा० पिपरा, थाना-आंदर, जिला सीवान का परिवार पत्र	212 दिनांक- 21.01.19	प्रखण्ड विकास पदा०, आंदर	स्मार देने का निदेश दिया गया।
7	श्रीमती नीतू कुमारी, पति मनोज कुमार वर्मा, ग्राम-कन्हौली, थाना बिहटा, जिला-पटना का परिवार पत्र	116 दिनांक 12.01.19	स्थापना उप समाहर्ता, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
8	श्रीमती तारा देवी, पति- लखीचन्द्र सहनी, सा० गोहरुआ, थाना-गुठनी जिला-सीवान का परिवार पत्र	237 दिनांक- 24.01.19	अंचलाधिकारी, गुठनी	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।
9	श्री ब्रजेश पाण्डेय, पिता-स्व० दुर्गा पाण्डेय, ग्राम-चकरी, थाना- दरौली, जिला सीवान का परिवार पत्र	236 दिनांक- 24.01.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।
10	श्री कमर इमाम, पिता- स्व० अफजल इमाम, ग्राम-थाना- हुसैनगंज का परिवार पत्र	238 दिनांक- 24.01.19	अंचल अधिकारी, हुसैनगंज	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।

10.1-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	सुशीला देवी पति- फुलचन्द्र साह, ग्राम-खुदरा, पो० पचलखी, जिला-वीवान का परिवार पत्र	235 दिनांक- 24.01.19	श्रम अधीक्षक, सीवान	अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
2	रोपना उरांव, ग्राम- चन्दकोपी, प्रखण्ड-बेडो, जिला-रांची के परिवार पत्र के संबंध में।	994 मु० दि० 17.12.18	अनुमण्डल पदा० महाराजगंज	स्मार देने का निदेश दिया गया।

10.3-राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग-बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से प्राप्त निम्नलिखित परिवार पत्र अनुपालन हेतु लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र	अभ्युक्ति
------	--------------	----------------------------	----------------------------------	-----------

		दिनांक	कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	
1	श्री प्रभु प्रसाद, सिपाही, दिल्ली पुलिस, पृतमपुरा पुलिस लाइन के परिवार पत्र के सम्बंध में।	2248/सा0शा0 दिनांक-10.10.17	अंचलाधिकारी, आंदर	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने निदेश दिया गया।
2	बसंतपुर थाना काण्ड सं0-305/17 में नामजदों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु श्री त्रिभुवन राम का आवेदन पत्र	पत्रांक-286 दि0-18.01.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	श्री अशोक साह पे0 स्व0 नागेश्वर साह के परिवार पत्र के सम्बंध में।	205 दि0 18.01.18	अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, महाराजगंज	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
4	श्रीमती उषा देवी पति- स्व0 ललन साह, ग्राम-कौड़िया, थाना- भगवानपुर हाट, जिला- सीवान का परिवारपत्र	1518 दि0 02.07.18	प्र0वि0पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने निदेश दिया गया।
5	श्री परशुराम मांझी, पिता- इन्द्रासन मांझी, ग्राम-छोटपुर, थाना- सीवान मु0, जिला- सीवान	2503 दि0 31.08.18	अंचलाधिकारी, सीवान सदर	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने निदेश दिया गया।
6	श्री सुखदेव साह के परिवार पत्र के सम्बंध में	219 दि0 23.01.18	अंचल अधिकारी, बड़हरिया एवं थानाध्यक्ष, जी0बी0 नगर	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
7	धर्मावती देवी, आगनबाड़ी केन्द्र सं0 75 गाम- आज्ञा, प्रखण्ड गोरेयाकोठी का परिवार पत्र	3501 दिनांक-14.12.18	प्र0वि0 पदा0, गोरेयाकोठी	स्मार देने का निदेश दिया गया।
8	श्री मोहर राम एवं अन्य ग्राम महम्मदपुर, थाना- जी0बी0नगर का खतियानी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बंध में परिवार	1475 दि0 22.09.18	अंचलाधिकारी, गोरेयाकोठी	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
9	श्री कामेश्वर बैठा, पे0 स्व0 चुन्नी लाल बैठा, ग्राम-बसांव, थाना- बसंतपुर का परिवार पत्र	695 दि0 10.04.17	प्र0वि0पदाधिकारी, गोरेयाकोठी	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
10	श्री सच्चिदानंद साधु ग्राम रजनपुरा, थाना- एम0एच0नगर का परिवार पत्र	1329 दि0 11.06.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया
11	श्री राजीव कुमार साह, की जमीन पर संतोष प्रसाद नामक व्यक्ति ने बलात कब्जा किया है।	3539 दि0 17.12.18	अंचल अधिकारी महाराजगंज	स्मार देने का निदेश दिया गया।

10.4-विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा प्रश्न-बताया गया कि निम्नलिखित विधान सभा/विधान परिषद/ लोक सभा प्रश्न अभी लम्बित हैं:-

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति

1	श्री राजेश कुमार राम, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-पी०आर०-2 का उत्तर भेजने के सम्बंध में।	472 दिनांक-28.02.18	उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीवान एवं जिला पंचायतीराज पदाधिकारी,सीवान	काफी लम्बे समय से प्रश्न लम्बित रहने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
2	श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-डीसी-23 के सम्बंध में।	540 दि० 19.03.18	उप विकास आयुक्त, सीवान	
3	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०- 58	672 दिनांक- 04.04.2018	जिला खेल पदाधिकारी सीवान	व्यक्तिगत रूप से बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
4	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-22	671 सा०शा० दि० 4.4.18	जिला खेल पदा०	
5	श्री रामदेव राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-20	2886 दि० 24.09.18	अपर समाहर्ता,सीवान	अपर समाहता को अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
6	बिहार विधान परिषद में प्रो० नवल किशोर यादव,मा० स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बंध में।	501 दिनांक 6.03.18	अपर समाहर्ता,सीवान	
7	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं०-2433/18	2885 दिनांक 24.09.18	अपर समाहर्ता, सीवान	
8	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा० स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर उत्तर सामग्री के सम्बंध में	2983 दिनांक 03.10.18	अपर समाहर्ता,सीवान	
9	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह,स०वि० से प्राप्त याचिका सं० 650/18 के सम्बंध में जाँच प्रतिवेदन	20दिनांक 9त्र०1.19	अपर समाहर्ता,सीवान	
10	श्री व्यासदेव प्रसाद, मा० स०वि०स० द्वारा अतारांकित प्रश्न सं०-2 के सम्बंध में	89 दिनांक- 11.01.19	अपर समाहर्ता सीवान	
11	अनियोजन सांकेतिक मत्ता योजना वर्ष 1981-82 के अंतर्गत बिहार के सभी जिला में नियुक्त कर्मियों की अनियमित सेवा सम्पुष्टि की जाँच के सम्बंध में आश्वासन	3088 दिनांक-22.10.18	स्थापना उप समाहर्ता, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
12	श्रीमती लेसी सिंह,माननीया स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं० पुन-04	3413 दिनांक 15.12.18	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा शाखा	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
13	लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 4476 की उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बंध में।	2883 दि० 24.09.18	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी,सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
14	श्री व्यासदेव प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ज० 36 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 123/16	84 दिनांक- 11.01.19	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया
15	श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय स०वि०पदा० से प्राप्त तारांकित	3462 दिनांक 10.12.18	अंचलाधिकारी, सीवान सदर/	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

	प्रश्न सं० आई०आर०-03		पंचरुखी	
16	श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक-13.08.18 को प्रस्तुत निवेदन सं०-बी०प०नी० (समाज कल्याण)-232/18	1958 दिनांक 07.09.18	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

10.5-लोकायुक्त:- बताया गया कि लोकायुक्त से सम्बंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	परिवाद सं०-1/लोक(कल्याण) 9/2017 में दर्ज फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन करने के सम्बंध में।	शून्य दि० 10.01.19	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।

10.6-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग:- बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से सम्बंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं, जिसके लिए सम्बंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	बुचड़खानों की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के सम्बंध में।	1997 दि० 18.09.18	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीवान/ कार्य० पदा०, नगर पंचायत, मैरवा / महाराजगंज	प्रतिवेदन अबतक लंबित रहने पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया और जिलाधिकारी के स्तर से कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	दि० 25.10.18 को उपद्रवियों के उपद्रव से आवेदक के निजी नाद, खूटा एवं दूकान को तोड़-फोड़ करना तथा आग लगाने के सम्बंध में री नूर आलम, पे० गुलाम मुस्तफा सा० पसनीली गगन, थाना- महाराजगंज, जिला- सीवान का आवेदन पत्र	1056 दिनांक- 31.05.17	थानाध्यक्ष, महाराजगंज	जिलाधिकारी के स्तर से कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना विफल करते हुए असामाजिक समुदाय के लोगों के साथ मारपीट एवं लूटपाट करने संबंध में अजहर अली, ग्राम-खानपुर का आवेदन	1094 दिनांक- 21.05.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

इन मामलों की समीक्षा के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि प्रत्येक बैठक में स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन भेजने में रुचि नहीं ली जा रही है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को जिलाधिकारी के स्तर से सम्बंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों की बैठक में उनसे सम्बंधित मामलों को रखने का निदेश दिया गया।

(अनु०-प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा)

11-विविध:-

11.1- बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से प्राप्त दस्तावेज को नीचे अंकित पदाधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया है, लेकिन अभी तक पूर्ण जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है:-

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम	जांच हेतु भेजे गए कुल दस्तावेजों की संख्या	सत्यापन के बाद विभाग द्वारा भेजे गए कुल दस्तावेजों की संख्या	विभिन्न कार्यालयों में लंबित दस्तावेजों की सं०
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	285	240	45
2	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीवान	55	43	12
3	जिला अवर निबंधक, सीवान	51	46	05

4	अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर	143	131	12
5	कार्यपालक दण्डाधिकारी, महाराजगंज	20	17	03
6	कार्यपालक, नगर पंचायत, मैरवा	5	4	1
7	अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज	7	0	7

कतिपय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सम्बंधित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण प्रतिवेदन भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जो पत्र नहीं मिल रहे हैं उनके सम्बंध में लिखित सूचना अविलम्ब प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध करा दें ताकि उन पत्रों को विभाग से प्राप्त किया जा सके। (अनु०-सभी सम्बंधित पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा)

11.2-सी०एम०डैश बोर्ड-आई०टी० मैनेजर द्वारा बताया गया कि सी०एम० डैश बोर्ड से सम्बंधित लम्बित मामलों की पदाधिकारीवार संख्या निम्न प्रकार है:-

जॉच से सम्बंधित पत्र

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हे पत्र भेजा गया	जॉच हेतु भेजे गए कुल पत्रों की संख्या	जॉच के बाद भेजे गए प्रतिवेदन की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1	अपर समाहर्ता, सीवान	84	74	10
2	उप विकास आयुक्त, सीवान	25	19	06
3	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सीवान	16	05	11
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	2	1	01
5	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, सीवान	02	01	01

प्रश्न से सम्बंधित मामले

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हे पत्र भेजा गया	प्रश्न हेतु भेजे गए कुल मामलों की संख्या	भेजे गए उत्तर की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीवान	01	00	01
2	कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, सीवान	02	01	01

सी०एम० डैश बोर्ड से सम्बंधित मामले अब तक लम्बित रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया और निदेश दिया गया कि सभी सम्बंधित पदाधिकारी अविलम्ब प्रतिवेदन आई०टी० मैनेजर को उपलब्ध करा दें और यदि कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है तो आई०टी० मैनेजर से प्राप्त कर लें। (अनु०-आई०टी० मैनेजर/सभी सम्बंधित पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
सीवान

ज्ञाप सं०- 346 / सी० दिनांक- 04-02-2019

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, सीवान/अपर समाहर्ता, सीवान/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/सिविल सर्जन, सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान, महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान, महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/ महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई०टी० मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

04-02-19
जिला पदाधिकारी,
सीवान